न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः-41 /अ-19(3)/2017-18/ 11034 बैतूल दिनांक 10 /2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बैतूल बाजार के पत्र क्रमांक:- लो.नि.शा./2017/885 दिनांक 5-7-2017 द्वारा, निकाय क्षेत्रान्तर्गत जल आवर्धन हेतु घटक का निर्माण किए जाने के लिए, मौजा बॅतूल बाजार स्थित खसरा नंबर 84/1 रकबा 0.882 हेक्टेयर में से 0.180 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 475 रकबा 1.408 हेक्टेयर में से 0.025 हेक्टेयर भूमि निकाय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बैतूल बाजार द्वारा प्रस्तावित किए भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में नायब तहसीलदार बैतूल/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल से अभिमत प्राप्त किया गया। प्रतिवेदक अधिकारियो द्वारा विषयांकित के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार उक्त संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- नायब तहसीलदार बैतूल द्वारा उक्त संबंध में विधिवत् प्रकरण संस्थित किया गया एवं उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2) - हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, मौजा बैतूल बाजार स्थित खसरा नंबर 84/1 रकबा 0.882 हेक्टेयर भूमि घाँस मद में एवं खसरा नंबर 475 रकबा 1.408 हेक्टेयर भूमि आबादी (गाँवठान) मद में दर्ज है, उक्त खसरा नंबर नजूल क्षेत्रान्तर्गत आते है जिसमें राजीव गाँधी आश्रय योजना के पट्टे भी दिये गये है। खसरा नंबर 475 में प्रस्तावित स्थल पर 0.025 हेक्टेयर भूमि रिक्त है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि चरनोई मद में दर्ज है, तथा कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 14-9-2015 द्वारा, उक्त भूमि के कुल रकबे मे से 60X80= 4800 वर्गमीटर भूमि, इनडोर स्टेडियम निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पक्ष में आरक्षित की गई है। मौके पर उक्त भूमि रिक्त है।

(3)- राजस्व अभिलेख (वर्तमान खसरा) के अनुसार मौजा बैतूल बाजार स्थित खसरा नंबर 84/1 रकबा 0.882 हेक्टेयर घाँस मद में एवं खसरा नंबर 475 रकबा 1.408 हेक्टेयर आबादी (गाँवठान) मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 के अनुसार खसरा नंबर 84 रकबा रकबा 0.975 हेक्टेयर भूमि घाँस मद में एवं खसरा नंबर 475 रकबा 1.408 हेक्टेयर भूमि आबादी मद में दर्ज है।

(4)- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बैतूल बाजार के पत्र क्रमांक:- लो. नि.शा./2018/1147 दिनांक 16-7-2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि निकाय क्षेत्रान्तर्गत रहवासियों के पेयजल हेतु उक्त भूमि पर फिल्टर प्लांट एवं ओव्हर हैड टैंक का निर्माण किया जाना है, जिसका उपयोग व्यवसायिक श्रेणी में नहीं है। अत: जनहित मे उक्त भूमि प्रब्याजि एवं भू-भाटक से मुक्त कर आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र के साथ प्रबंध संचालक म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पत्र क्रमांक:- पी.एम.यू./इंजी./2017/08 दिनांक 01-01-2018 की छायाप्रति भी संलग्न की गई है। इस पत्र द्वारा, प्रदेश में विभिन्न योजनओ के अंतर्गत प्रस्तावित/क्रियान्वित की जा रही जलप्रदाय एवं मल निकासी योजना के लिए उपलब्ध कराई जा रही शासकीय भूमि को प्रब्याजि एवं भू-भाटक से मुक्त रखने हेतु लेख किया गया है।

(4)- नायब तहसीलदार बैतूल /अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर मौजा बैतूल बाजार स्थित खसरा नंबर 475 रकबा 1.408 हेक्टेयर मे से 0.025 हेक्टेयर

न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल (म.प्र.)

तथा खसरा नंबर 84/1 रकबा 0.882 हेक्टेयर में से 0.180 हेक्टेयर भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बैतूल बाजार को आवंटित करने की अनुशंसा की गई है।

4- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/6/52/सात-नजूल/99 दिनांक 27-1-2004 द्वारा, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क्रमांक -7 के अधीन केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों, उपक्रमों स्थानीय निकायों को भूमि का आवंटन करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया हैं। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक- 1/2011/अधी./8670 दिनांक 4-8-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के प्रकरणों को छोड़कर शेष धाराओ के प्रकरणो का एवं शासकीय विभागो को भूमि अंतरण के प्रकरणो का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

5- प्रकरण का समग्र अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि नगर परिषद बैतूल बाजार द्वारा निकाय क्षेत्र के रहवासियो के लिए पेयजल की व्यवस्था हेतु फिल्टर प्लांट एवं ओव्हरहैड टैंक का निर्माण करने के लिए उपरोक्तानुसार भूमि आवेदित की गई है। आवेदित दोनो खसरा नंबर नगर परिषद बैतूल बाजार की सीमा अर्थात नगरीय सीमा में स्थित है।

नगर परिषद द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तावित खसरा नंबर 475 रकबा 1.108 हेक्टेयर आबादी मद में एवं खसरा नंबर 84/2 रकबा 0.882 हेक्टेयर भूमि घाँस मद में दर्ज है। परन्तु यह तथ्य भी निर्विवादित है कि, उक्त दोनो खसरा नंबर नगर परिषद की नगरीय सीमा में स्थित है, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-4 क्रमांक-1 की कण्डिका-1 में नगर निगमो, नगरपालिका, नगरो तथा अधिसूचित क्षेत्रो की सीमाओ के भीतर नजूल भूमियो का प्रबंध और व्यवस्था के प्रावधान निर्धारित किए गए है, तथा नजूल भूमि और मिल्कियत सरकार को स्पष्ट किया गया है। उक्त खण्ड की कण्डिका(2) में प्रावधानित किया गया है कि '' मिल्कियत सरकार के रूप में अभिलिखित की जाने भूमियो में सबसे सामान्य प्रकार की भूमि होगी। इस भूमि में जो भूमि राजसात(राज्य सरकार के हित में अिभग्रहण) की जा चुकी हो और अस्थायी रूप से कृषि प्रयोजनो के लिए ऐसे भूखण्ड दिये जाए या निकुन्ज या बगीचे, खानियाँ, तालाब, शासकीय एवं स्थानीय निकायो की सड़के, नाले, नहरे, ऐसे भूखण्ड जिन पर वृक्ष लगे हो, कृषि फार्म, चारे के लिये रक्षित भूमियाँ तथा घाँस भूमियॉ मिल्कियत सरकार के रूप मे अभिलिखित की जाएगी।''

कण्डिका-(6) में नजूल और मिल्कियत सरकार भूमि के बारे में स्पष्ट किया गया है कि, इन दोनो वर्गो की भूमि पर शासन का स्वामित्व होता है ये दोनो वर्गो की भूमि शासन की सम्पत्ति होती है किन्तु इन दोनो वर्गो की भूमि होने की शर्त ये है कि ऐसी दोनो वर्गो की भूमियाँ किसी गाँव के खाते मे न हो एवं बंजर झाड़ीदार, जंगल, पहाडियों और चट्टानो, नदियों ग्राम वन या शासकीय वन न हो।

उपरोक्त प्रावधानो के परिप्रेक्ष्य में, मौजा बैतूल बाजार तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 84/2 रकबा 0.889 हेक्टेयर भूमि, नगर परिषद बैतूलबाजार की सीमा अर्थात नगरीय सीमा में स्थित होने के कारण उक्त खसरा नंबर मिल्कियत सरकार की श्रेणी में आता है, जिसके फलस्वरूप इस खसरा नंबर पर चरनोई के 2 प्रतिशत रक्षित रकबे का प्रावधान प्रभावी नहीं होता है।

6- अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, तथ्य, तथा नायब तहसीलदार बैतूल व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के अभिमत/अनुशंसा के आधार पर मौजा बैतूल बाजार स्थित खसरा नंबर 475 रकबा 1.408 हेक्टेयर में से 0.025 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 84/1 रकबा 0.882 हेक्टेयर में से **0.**180 हेक्टेयर भूमि,जिसे प्रकरण में संलग्न नक्शा (प्रदर्श-'अ') मे लाल स्याही से चिन्हित किया गया है, मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल (मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बैतूल बाजार) को फिल्टर प्लांट एवं ओव्हर हैड टैंक निर्माण हेतु निम्लिखित शर्तो के अधीन के अधीन हस्तांतरित की जाती है:-

(1)- हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(2)- भूमि पर प्रस्तावित कार्य 6 माह के भीतर प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) शर्तो का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगी।

(मूलचन्द्र वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:-41 /अ-19(3)/2017-18/ 11034 बैतूल दिनांक 10/19/2018

प्रतिलिपिः-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल की ओर सूचनार्थ।

2- नायब तहसीलदार बैतूल(बॅतूल बाजार वृत्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बैतूल बाजार बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

4- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

5- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.